रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2015/श्रावण 13, 1937
No. 267] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2015/SHRAVANA 13, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2015

फा. सं. 4/15015/30/2011.— खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का प्ररूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 11 नवम्बर, 2014 में प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 दिसम्बर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2015 है ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, "वसा, तेल और वसा पायसन" से संबंधित उप विनियम 2.2 में,-

(क) "एस्टरित वनस्पति वसा" से संबंधित उप विनियम 2.2.2 में खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि 27 अगस्त, 2016 से ही ट्रांस वसा अम्लों की अधिकतम सीमा भार के आधार पर 5% से अधिक नहीं होगी;";

(ख) "मारज़ीन और वसा स्प्रैड" से संबंधित उप विनियम 2.2.5 में, "बेकरी और औद्योगिक मारज़ीन से संबंधित खंड (2) में उप-खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि 27 अगस्त, 2016 से ही ट्रांस वसा अम्लों की अधिकतम सीमा भार के आधार पर 5% से अधिक नहीं होगी ;";

(ग) "हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल" से संबंधित उप विनियम 2.2.6 में,-

(i) खंड 1 के, उप-खंड (vii) में मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि 27 अगस्त, 2016 से ही ट्रांस वसा अम्लों की अधिकतम सीमा भार के आधार पर 5% से अधिक नहीं होगी;";

(ii) खंड 2 के, उप-खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि 27 अगस्त, 2016 से ही ट्रांस वसा अम्लों की अधिकतम सीमा भार के आधार पर 5% से अधिक नहीं होगी ;";

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./187-ओ/15(154)]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा किया गया:

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013

(ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013

(iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013

(iv) फा.सं. पी/15025/262/13- पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014 और

(v) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई.पैन-नोटी/एफएसएसएआई तारीख, 17 फरवरी, 2015

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2015

F. No. 4/15015/30/2011.—Whereas the draft of certain regulations to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India Number F.No 4/15015/30/2011, dated the 11th November, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th December, 2014;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations

further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:—

Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2015.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to 'FATS, OILS AND FAT EMULSIONS', -

(a) in sub-regulation **2.2.2** relating to 'Interesterified vegetable fat', after clause (v), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the maximum limit of trans fatty acids shall be not more than 5% by weight, on and from the 27th of August, 2016;";

(b) in sub-regulation **2.2.5** relating to 'MARGARINE AND FAT SPREADS', in clause 2 relating to "Bakery and Industrial Margarine", after sub-clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the maximum limit of trans fatty acids shall be not more than 5% by weight, on and from the 27th of August, 2016;";

(c) in sub-regulation **2.2.6** relating to 'HYDROGENATED VEGETABLE OILS',-

(i) in clause 1, in sub-clause (vii) after item (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the maximum limit of trans fatty acids shall be not more than 5% by weight, on and from the 27th of August, 2016;";

(ii) in clause (2), after sub-clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the maximum limit of trans fatty acids shall be not more than 5% by weight, on and from the 27th of August, 2016;";

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./187-O/15(154)]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F.No: 2-15015/30/2010, dated 1st August, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013

(ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013

(iii) F.No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013

(iv) F.No. P.15025/262/13-PA/FSSAI, dated the 5th December, 2014 and

(v) F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.